कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655 ई-मेल - deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स नं. 07662-241655 वेबसाईट- www.ssmcrewa.com

क्रमांक............................./स्था/अराज/एमसी/2024 रीवा, दिनांक.............................

//आदेश//

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) में दायर याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 6857/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुपालन में एवं परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, म.प्र. भोपाल के विज्ञापन क्रमांक एफ/CST-06/New ART/2021/4208, भोपाल, दिनांक 31.12.2021 के अनुक्रम में ए.आर.टी. केन्द्र, रीवा अंतर्गत संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 19.09.2024 को साक्षात्कार उपरांत चयन समिति की अनुशंसानुसार नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित उम्मीदवार को डाटा मैनेजर के पद पर संविदा आधार पर (On Contractual Basis) निश्चित मासिक वेतन रू. 13,000/– (तेरह हजार रूपए) प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन ए.आर.टी. केन्द्र, रीवा (म.प्र) में पदस्थ किया जाता है:–

S. No.	Name of Candidate	Father/Husband's Name	Corresponding Address	Cat.	Selected Cat.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Akhilesh Dwivedi	Mr. R.P. Dwivedi	142/13, Near Tata Tower, Nehru Nagar, Rewa (M.P.), Pincode 486001	UR	UR

<u>सेवा की शर्तें:–</u>

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपस्थिति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को सौंपना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयं समाप्त माना जावेगा।
2. संविदा सेवा की शर्तें नाको की ए.आर.टी. ऑपरेशलन गाइडलाइन –2021, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, म.प्र. भोपाल, मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अधीन शासित होंगी।
3. संविदा अवधि संबंधित के कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च, 2025 तक के लिए होगी।
4. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, म.प्र. भोपाल द्वारा स्वीकृत अवधि के बढ़ाया जा सकेगा।
5. इस नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में अयोग्य पाए जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी।
7. कार्यरत् अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह के वेतन के बराबर की राशि देकर संविदा अवधि के पूर्व सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

क्रमशः पेज...02

8. चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर अधोहस्ताक्षरी के साथ राशि रू. 500/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् संविदा आधार पर कार्यरत् व्यक्ति को पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा वेतन राशि का भुगतान ए.आर.टी. केन्द्र, रीवा हेतु बजट उपलब्ध होने के अधीन होगा। निश्चित संविदा वेतन राशि के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भत्ता इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा आधार पर कार्यरत् व्यक्ति द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, एक माह में अधिकतम 03 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिए गए निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जाएगा। मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा प्रदान अन्य अवकाश देय होंगे।
14. कार्यभार ग्रहण करने के बाद यदि बिना सूचना के 05 दिवस या उससे अधिक तक अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो इस स्थिति में संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी और इस संबंध में कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
15. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल नोटराईज्ड स्टाम्प पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने अथवा किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना होगा। दस्तावेज असत्य पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
17. संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संसाधनों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।
18. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन व अनुसरण करना व प्रशिक्षणों बैठकों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोटः– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संसोधन सहित) के लिए आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. सुनील अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमशः पेज...03

पृ.क्र. 22542-51 / स्था / अराज / एमसी / 2024 रीवा, दिनांक 20/9/24

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)।
3. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रीवा।
5. संयुक्त संचालक सह—अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
6. नोडल अधिकारी, ए.आर.टी. केन्द्र, रीवा।
7. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित के मानदेय का आहरण ए.आर.टी. केन्द्र, रीवा हेतु प्राप्त बजट से किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)